परिचालन संरक्षा चेतावनी संख्या – 05/2025
Operating Safety Alert No. 05/2025

विषय: – धनबाद मंडल के कोडरमा – महेशमुंडा खंड के सलैया और कवार स्टेशनों के बीच राहत इंजन का गाड़ी संख्या SAIL/DDL के ब्रेकवान से टकराने के कारण ब्रेकवान एवं राहत इंजन के पहियों का अवपथन।

दिनांक 31.07.2025 को न्यू गिरिडीह से गाड़ी संख्या SAIL/DDL बिना गार्ड के चलाई गई, जिसमें ब्रेकवान पर 'LV' बोर्ड नहीं लगा था। यह गाड़ी 06:50 बजे सलैया स्टेशन को थ्रू पास करने के बाद अगले ब्लॉक खंड, सलैया-कवार में स्टॉल्ड (Stalled) हो गई और लगभग 07:10 बजे रुक गई। ब्रेकवान की स्थिति कि.मी. 90/9–90/10 के मध्य थी।

खंड नियंत्रक द्वारा सलैया स्टेशन मास्टर को 07:10 बजे गाड़ी के स्टॉल्ड होने की सूचना दी गई। इसके बाद सलैया स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा T/A 602 प्राधिकार पत्र जारी कर मल्टी इंजन को राहत इंजन के रूप में 07:55 बजे रवाना किया गया। परंतु T/A 602 प्राधिकार पत्र में ब्रेकवान की स्थिति कि.मी. 86/18 (सलैया–कवार) दर्शाई गई थी जबकि ब्रेकवान की वास्तविक स्थिति कि.मी. 90/9–90/10 (सलैया–कवार) के मध्य थी। ।

परिणामस्वरूप, राहत इंजन ब्रेकवान से टकरा गया जिससे SAIL/DDL के ब्रेकवान के चार पहियों और राहत मल्टी इंजन के अगले इंजन के छह पहियों का अवपथन हो गया।

जांच में पाया गया कि राहत इंजन की अधिकतम गति 60 कि.मी./घंटा था , जबकि आपातकालीन ब्रेक लगाने के बावजूद भी टक्कर के समय की गति 24 कि.मी./घंटा था।

घटना के प्रमुख कारण :

1. राहत इंजन के लोपा/सलोपा द्वारा निर्धारित गति सीमा 15 कि.मी./घं का पालन नहीं किया गया।
2. SAIL/DDL के लोको पायलट / सहायक लोको पायलट द्वारा गाड़ी का प्रोटेक्शन नहीं किया गया।
3. T/A 602 पर ब्रेकवान की स्थिति (कि.मी.) गलत अंकित था ।

भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु निम्नलिखित सावधानियाँ आवश्यक हैं:

1. स्टॉल्ड या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी की सूचना देते समय उसकी वास्तविक स्थिति (कि.मी.) अनिवार्य रूप से बताई जाए।
2. अवरुद्ध ब्लॉक खंड में राहत गाड़ी को भेजते समय लोको पायलट को दिन में दृश्यता साफ़ होने पर अधिकतम 15 कि.मी./घं तथा रात्रि में और धुंध/ दृश्यता साफ़ न होने पर अधिकंतम 10 कि.मी./घं की गति सीमा का पालन करना अनिवार्य है।
3. बिना गार्ड के गाड़ियों के संचालन के समय सामान्य एवं सहायक नियम 4.25 का पालन करते हुए अंतिम वाहन पर LV बोर्ड या टेल लैंप लगाया जाए।
4. जब कोई गाड़ी ब्लॉक खंड में खड़ी हो जाए और आगे नहीं बढ़ पा रही हो, तो नियमानुसार उसका प्रोटेक्शन सुनिश्चित किया जाए।

निर्देश:

सभी मंडलों को निर्देशित किया जाता है कि बिना गार्ड के गाड़ियों के संचालन तथा अवरुद्ध ब्लॉक सेक्शन में राहत इंजन चलाते समय अपनाई जाने वाली सावधानियों एवं परिचालनिक प्रक्रियाओं के संबंध में यातायात निरीक्षकों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा संबंधित कर्मचारियों को जागरूक किया जाए तथा इस विषय पर चर्चा एवं काउंसलिंग की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

MANOJ KUMAR RANJAN

(मनोज कुमार रंजन)
उप. मुख्य परिचालन प्रबंधक/सा.
पूर्व मध्य रेल
दिनांक 11.08.2025

सं0.ई सी आर /परि. संरक्षा /चेतावनी /73 / 505,

प्रतिलिपि:

1. सचिव, महाप्रबंधक /पूमरे, हाजीपुर – महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु ।
2. प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी/ पूमरे, हाजीपुर को सादर सूचनार्थ हेतु ।
3. मण्डल रेल प्रबंधक –धनबाद, दानापुर, डी डी यू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
4. वरि.म.परि. प्रबंधक–धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।